विशेष प्रकरण क्रमांक–01/2023
शासन वि० नीलकमल सोनी

Witness No. 03 for **अभियोजन साक्ष्य** Deposition taken

the **21** day of दिसम्बर 2023 Witness's apparent age **45** वर्ष

States on affirmation **शपथपूर्वक** my name is प्रकाश सोनी

S/of श्री गणेश राम सोनी Occupation तहसीलदार

(तहसील कार्यालय- पाटन)

Address हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बोरसी दुर्ग छ.ग.

''''''''''''''''''''''''

(समय: 01:25 बजे से)

शपथपूर्वक–

मुख्यपरीक्षण द्वारा विशेष लोक अभियोजक ओ0 पी0 शर्मा :–

1. मैं जून 2021 से नवम्बर 2022 तक तहसीलदार दुर्ग के पद पर पदस्थ था । मेरी पदस्थापना के दरमयान कार्यालय पुलिस अधीक्षक एन्टी करप्सन ब्यूरो रायपुर पत्र क्रमांक पुअ/एसीबी/एसएस/एम.एम 7661/2052 रायपुर दिनांक 09.09.2022 के माध्यम से कार्यालय तहसीलदार जिला दुर्ग से नीलकमल सोनी पिता श्री बहुरन सिंह सोनी पद–पटवारी, हल्का नं०–18 निवासी–कोहका भिलाई, जिला–दुर्ग के सेवा पुस्तिका एवं अन्य जानकारी के संबंध में बिन्दुवार जानकारी मांगी गई थी । इसके संबंध में मेरे द्वारा पत्र क्रमांक 190/कानू./तह./2022 दुर्ग दिनांक 23.09.2022 के माध्यम से बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार दी गई है– जो **प्र०पी०–12** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । उक्त जानकारी मेरे तत्कालीन कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर छः बिन्दओं पर तैयार की गई है– बिन्दु 1 में आरोपी की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती की प्रमाणित प्रतिलिपि, बिन्दु–2 में

आरोपी को सेवा से पृथक करने वाले सक्षम अधिकारी का नाम एवं पदनाम, बिन्दु–3 आरोपी नीलकमल सोनी की प्रथम सेवा नियुक्ति दिनांक 02.08.2008 की जानकारी, बिन्दु–4 उसकी सेवानिवृति दिनांक 28.02.2039, बिन्दु–5 में पदस्थापना आदेश की प्रमाणित छायाप्रति, बिन्दु–6 पटवारी पद के पदीय कर्तव्यों की जानकारी, में जानकारी दी गई थी । **प्र०पी०–12** के साथ संलग्न **बिन्दु क्रमांक–1 से 6** की जानकारी, **प्र०पी०–12 ए** है जो कुल 12 पन्ने में है,जिसके प्रत्येक पन्ने के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री महेन्द्र दुबे वास्ते अभियुक्त नीलकमल सोनी</u>

2. यह कहना सही है कि दिनांक 09.09.2022 को प्रेषित **प्र०पी०–12** के पूर्व एसीबी ने तहसीलदार कार्यालय से आरोपी के पदस्थापना, पदीय कर्तव्य एवं सेवा संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया है ।

3. यह कहना सही है कि आरोपी नीलकमल के विरूध्द दिनांक 09.09.2022 के पूर्व किसी भी प्रकार की सेवा में अनिमियतता या कदाचार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी और न ही आरोपी के विरूध्द अनुशासनात्मक या विभागीय कार्यवाही की गयी थी ।

4. यह कहना सही है कि आरोपी का निलंबन आदेश दिनांक 14.09.2022 मेरे द्वारा प्रस्तुत नस्ती में संलग्न है जो **प्र०पी०–12 ए** का भाग है । तथा अभियोग पत्र के पृष्ठांकित पृष्ठ 80 पर है । यह कहना सही है कि **प्र०पी०–12 ए** के ब से ब भाग दिनांक. 09.09.2022...... किया जाता है उक्त आदेश में अंकित है । यह कहना सही है कि एसीबी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एवं उसी के आधार पर आरोपी का निलबन

विशेष प्रकरण क्रमांक-01/2023

शासन वि० नीलकमल सोनी

आदेश दिनांक 14.09.2022 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दुर्ग द्वारा जारी किया गया था । यह कहना सही है उक्त निलंबन आदेश में "आरोपी के असिस्टेंट के द्वारा 6 हजार रूपये रिश्वत लेते पकड़े जाने" उल्लेखित है ।

(समय: 2:00 बजे तक)

वाचित सही स्वीकृत

SANJEEV KUMAR TAMAK Digitally signed by SANJEEV KUMAR TAMAK Date: 2023.12.21 18:02:56 +0530

(संजीव कुमार टामक)
विशेष न्यायाधीश (भ्र.निवा.अधि.)
दुर्ग (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित

SANJEEV KUMAR TAMAK Digitally signed by SANJEEV KUMAR TAMAK Date: 2023.12.21 18:03:00 +0530

(संजीव कुमार टामक)
विशेष न्यायाधीश (भ्र.निवा.अधि.)
दुर्ग (छ.ग.)

साक्षी के हस्ताक्षर